वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर संभाग रायपुर का गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत पाण्डुका, जतमई घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागांव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि 19.391 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.178 हे.; कुल रकबा 24.569 हे. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए मार्ग निर्माण हेतु 24.569 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 15/02/2021
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840 **ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in**

क्र./भू–प्रबंध/विविध–1/115–748/451 नवा रायपुर, दिनांक 15/02/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Rehabilation and Upgrating of Panduka, Jatamai Ghatarani, Gaydabri, Madeli, Mudagaon Road (Tow Lane Public Road) area – 24.569 ha.**
(पंजीयन कं. FP/CG/ROAD/ 35248/2018)

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ एफ.सी.ए./ 915 दिनांक 23.01.2021

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक वार विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01) – आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर संभाग रायपुर का गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत पाण्डुका, जतमई घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागांव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि 19.391 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.178 हे.; कुल रकबा 24.569 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त हुआ है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 02) – वन मंडलाधिकारी गरियाबंद द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/CG/ROAD/ 35248/ 2018** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–1 आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 03 से 04) – गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत पाण्डुका, घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागांव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि 19.391 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.178 हे.; कुल रकबा 24.569 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त हुआ है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 05) – दो लाईन मार्ग निर्माण एवं उन्नयन के परियोजना के लिए गैर वन भूमि रकबा 29.051 हे. प्रस्तावित है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 6 से 11) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 12 एवं 14) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 15 से 22) – गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत पाण्डुका, घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागांव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि 19.391 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.178 हे.; कुल रकबा 24.569 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है। परियोजना की प्रशासकीय लागत 149.31 करोड़ बतायी गई है तथा वनों का घनत्व 0.5 तक है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 23 से 29) – प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 30) – वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 31) – गरियाबंद जिले के गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत पाण्डुका, घटारानी, गायडबरी, मडेली, मुडागांव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि 19. 391 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.178 हे.; कुल रकबा 24.569 हे. . मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित है। इस हेतु प्रस्तावित रकबा आवश्यक एवं न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 32 से 50) – यूजर एजेंसी का कथन है कि **पर्यावरण स्वीकृति** प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का यूजर का प्रमाण पत्र संलग्न है। साथ ही भारत सरकार का राजपत्र असाधारण क्रमांक 10 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना भी संलग्न है ।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 51 से 58) – आवेदित क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के 3326 वृक्षों का विदोहन किया जाना है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 59 से 65) – परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस संलग्न है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 66) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य नारंगी वन भूमि में किया जाना है। अतः गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 67) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से नारंगी वन भूमि में होने के कारण गैर वन क्षेत्र के आसपास का नक्शा की आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी गरियाबंद एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 68 से 94) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दुगुने नारंगी वन भूमि कक्ष क्रमांक 559 एवं 570 में 50.000 हे. में प्रस्तावित है। वन मंडलाधिकारी गरियाबंद द्वारा हस्ताक्षरित योजना प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 95 से 96) – गरियाबंद परिक्षेत्र के नारंगी वन क्षेत्र बम्हनी "ए" कक्ष क्रमांक 559 में 20.00 हे. एवं 570 में के रकबा 30.503 कुल रकबा 50.503 हे. क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है। उप वन मंडलाधिकारी गरियाबंद का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 97) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 98) – वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 99) – वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 100 से 101) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु कलेक्टर गरियाबंद का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 102) – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है। वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 103) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 104) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 105) – प्रस्तावित क्षेत्र में किसी को उक्त क्षेत्र से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 106 से 120) – भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी गरियाबंद द्वारा दिनांक 08.01.2020 को उनके द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। जो मुख्य वन संरक्षक, रायपुर द्वारा अनुशंसित है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 121 से 122) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी गरियाबंद वन मंडल एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 123 से 129) – प्रस्तावित परियोजना हेतु ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत मडेली, कुरूद, गाड़ाघाट, तौरेंगा, गायडबरी, पीपरछेड़ी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 130) – गरियाबंद जिले की कुल वन भूमि 1951.86 वर्ग कि.मी.. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 131) – गरियाबंद वन मंडल में 12 प्रकरणों के लिए 241.075 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 132) – गरियाबंद वन मंडल अंतर्गत इस श्रेणी के वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत 01 प्रकरण रकबा 25.00 हे. व्यपवर्तित की गई है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ

133) – प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर नहीं है। वन मंडलाधिकारी गरियाबंद वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 134) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 135 से 176) – वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर गरियाबंद द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 177 से 179) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि का कलेक्टर गरियाबंद का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 180 से 181) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 182) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it **(प्रस्ताव पृष्ठ 183)** – मार्ग निर्माण से भूमि क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी है। वन मंडलाधिकारी, गरियाबंद एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 184) – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 **(प्रस्ताव पृष्ठ 185)** – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 186 से 188) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 189) – वन्य प्राणी क्षेत्र प्रभावित नहीं होने से अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 190) – लागू नहीं।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 191) – डीजीपीएस सर्वे किया जा चुका है तथा आवेदित एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की वेब पर केएमएल फाईल अपलोड की गई है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक,

रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर उनके अनुशंसा से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ कार्यालय से यह अनुशंसा भाग–4 में जोड़ी गई है कि व्यपवर्तन उपरांत आवेदित वन क्षेत्र में वन विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों के वाहनों के आवागमन के अधिकार पूर्ववत सुरक्षित रहेंगे तथा आवेदक संस्थान द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का कोई शुल्क / रोक नहीं लगायी जायेगी।

संलग्नः–

1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्रों की छाया प्रति मय संलग्नक
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़